

# कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बस्सी

क्रमांक: Sp-01

दिनांक: 10.09.2023

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,  
वन्यजीव, जयपुर


विषय:- “Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan)” Proposal No. FP/RJ/ROAD/151862/2022 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: एफ ( ) FCA/उवसवजी/2023-24/4239 दिनांक 14.07.2023

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरिभित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव **Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan)” Proposal No. FP/RJ/ROAD/151862/2022** में परीक्षण करने के उपरान्त जो आक्षेप लगाये गये हैं जिनकी पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	आक्षेप	जवाब
1.	जिला कलेक्टर द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि प्रस्तुत करने के आदेश जारी नहीं किये गए हैं हालाँकि यूजर एजेंसी द्वारा खंड अधिकारी द्वारा आलोच्य प्रकरण में 3.4764 हैक्टर गैर वन भूमि दिए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 3.5568 हैक्टर है। समतुल्य गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रकरण में 3.4764 हैक्टर गैर वन भूमि दिए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 3.5568 हैक्टर है। समतुल्य गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है। शेष भूमि के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। भूमि आवंटित होते ही भूमि के दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।
2.	वर्तमान सड़क 1980 से पूर्व की बानी हुई है इस आशय का प्रमाण पत्र सलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	वर्तमान सड़क 1980 से पूर्व की बानी हुई है जिसका कोई साक्ष्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास नहीं है। इसलिए सम्पूर्ण सड़क का वन भूमि डायवर्जन लिया जा रहा है। अतः किसी प्रकार के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
3.	प्रस्ताव राजस्व मैप पर अंकन नहीं किया गया है।	प्रस्ताव राजस्व मैप पर पूर्व अंकन कर दिया गया है।
4.	प्रस्ताव में अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ने वाली गैर वन भूमि एवं वन भूमि का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है।	प्रस्ताव में अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ने वाली गैर वन भूमि एवं वन भूमि का पूर्ण विवरण एरिया कैलकुलेशन शीट में दे दिया गया है।
5.	अभ्यारण्य क्षेत्र में सड़क की चौड़ाईकरण का प्रस्ताव है किन्तु यूजर एजेंसी द्वारा अभी तक वन्यजीव स्वीकृति हेतु आवेदन नहीं किया गया है। कारण स्पष्ट किया जाना है।	FP/RJ/ROAD/151862/2022 प्रस्ताव संख्या 17 /12 /2022 को ऑनलाइन कर दिया गया था जो स्टेट गवर्नमेंट के पास लंबित है।
6.	प्रस्तावित प्रकरण में रोड की चौड़ाईकरण कार्य में 31 पेड़ों को क्षति होने की सम्भावना है अतः प्रकरण में उच्च कार्यालय के निर्देशानुसार प्रस्तावित रोड का सरिखण संशोधितकर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करे ताकि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके।	प्रस्तावित प्रकरण में रोड की चौड़ाईकरण कार्य है क्यों की रोड पूर्व से प्रचलित है जिसका चौड़ाईकरण होना प्रस्तावित है अतः प्रकरण में रोड का सरिखण संशोधित किया जाना सम्भव नहीं है।

  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा. नि. वि. (राजीव जैन) बस्सी  
अधिशाषी अभियंता  
सा.नि.वि. खण्ड बस्सी, जयपुर